

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य निदेशालय**  
**आदेश**

आ0सं0-6/एन0-08-270/2018-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-1252(6), दिनांक-15.11.2018 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में दारस सलाम फाउण्डेशन ट्रस्ट, न्यू अजीमाबाद कॉलोनी, महेन्द्र, पटना-800006 द्वारा प्रस्तावित नजीरूल हसन इन्स्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, सोनिहार, जिला-खगड़िया-848201 के नाम से ए0एन0एम0 स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापांक-1412(6), दिनांक-07.12.2018 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ0 उदय कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त नजीरूल हसन इन्स्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, सोनिहार, जिला-खगड़िया-848201 को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 55 (पचपन) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, खगड़िया समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी। सत्र का निर्धारण बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा किया जायेगा तथा सत्र निर्धारण के उपरान्त ही संस्थान छात्र/छात्राओं का नामांकन प्रारंभ करेंगे।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर (ii) सिविल सर्जन, खगड़िया तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

H0/-

(डॉ0 आर0डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।